फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

ी | प्रतिवादीगण

गेनाराम .... बनाम सरकार जरिये तहसीलदार वगैरह

रण : राजस्व वाद | मुकदमा नं. ...28...... / 2020

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ...136.... राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वकील श्री ...गोविन्दराम शर्मा.... ने पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया हो। अप्रार्थीगण को जवाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ......6/7/2020.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
6/7/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को तामील स्वयं से तामील होकर प्राप्त जो शा० मि० रहे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रारम्भ दिनांक 6/8/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
6/8/20	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार से जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शा० मि० है। प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/9/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	(हस्ताक्षर) Adv
4/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी का प्रा०पत्र अधीन धारा 136 RLR Act स्वीकार किया जाता है। जिसका निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही बाद नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 28/2020
गेनाराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 28/2020

प्रार्थी – गेनाराम पुत्र घासीराम
जाति–जाट निवासी–झाड़ेली तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थी – सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार जायल उपस्थित।

दिनांक : 04/9/2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वास्तविक नाम गेनाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी झाड़ेली तहसील जायल है, परन्तु ग्राम खारा मांजराम तहसील जायल के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खसरा नं. 201, 203 खाता संख्या 45/39 में प्रार्थी का नाम सहवन से ज्ञानाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी झाड़ेली तहसील जायल दर्ज हो गया है। ग्राम झाड़ेली में उक्त नाम का एक ही व्यक्ति है। उक्त गलत नाम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी योजना का परिलाभ लेने में कोई दिक्कत आ रही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्ञानाराम पुत्र घासीराम के स्थान पर गेनाराम पुत्र घासीराम शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

(मुहर: सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)

04/9/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होने जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/1884 दिनांक 23.07.2020 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्ञानाराम पुत्र घासीराम के स्थान पर गेनाराम पुत्र घासीराम शुद्ध किये जाने मे सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट की सम्पुष्टि के परिपेक्ष्य में नकल जमाबंदी खाता संख्या 45/39, आधारकार्ड संख्या 2569 5089 3833, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की पास बुक की फोटो प्रति पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा ग्राम खारा मांजरा पटवार हल्का तंवरा तहसील जायल के खाता संख्या 45/39 में प्रार्थी नाम ज्ञानाराम के स्थान पर गेनाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् ग्राम मुण्डी तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 45/39 सम्वत् 2073––2076, में प्रार्थी का नाम ज्ञानाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी–झाड़ेली तहसील जायल दर्ज है जिसके स्थान पर गेनाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी–झाड़ेली तहसील जायल शुद्ध किये जाने में तहसीलदार (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार आधारकार्ड संख्या 2569 5089 3833, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति से प्रार्थी गेनाराम उर्फ ज्ञानाम एक ही व्यक्ति के 2 नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की अभिशंषा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां यह साबित है कि प्रार्थी हड़मानराम व हनुमानराम दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है जिसमें से प्रार्थी का वास्तविक नाम गेनाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी– झाड़ेली तहसील जायल ही है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का नाम ग्राम खारामांजरा पटवार हल्का तंवरा तहसील जायल के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 45/39 में खातेदार ज्ञानाराम पुत्र घासीराम के स्थान पर गेनाराम पुत्र घासीराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम खारा मांजरा पटवार हल्का तंवरा तहसील जायल के खाता संख्या 45/39 में दर्ज खातेदार कृषक ज्ञानाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी झाड़ेली तहसील जायल के स्थान पर गेनाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी झाड़ेली तहसील जायलशुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

04/9/2020
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner